

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-184/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० आकाश कुमार रॉय, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियाँ का दिनांक-31.05.2019 से 31.05.2022 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-01.06.2022 से 04.07.2022 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-31.05.2019 से 31.05.2022 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-01.06.2022 से 04.07.2022 तक	
i.	दिनांक-01.06.2022 से 30.06.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-01.07.2022 से 04.07.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-184/2023- 998(2) पटना, दिनांक 17/6/2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियाँ/डा० आकाश कुमार रॉय, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णियाँ/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव